फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम अक्षय शर्मा अन्य

पत्र: 91/24

क्रमांक	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण।
	07.05.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.05.2024 को पेश हो। (उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर))	नोटिसजारी 3786-89 13/5/24
	21/5/24	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. सहाब के अन्य [illegible] रहने/ [illegible] करने के [illegible] की जा सकी। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को प्रस्तुत हो।	21/5/24
	10/6/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पी.ओ. सहाब के अन्य [illegible] रहने/ [illegible] अधिकारी द्वारा [illegible] करने के [illegible] नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/6/24 को प्रस्तुत हो।	
	25/6/24	पत्रावली पेश है। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी सं. 1 से 3 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं [illegible] कार्यवाही [illegible] लाई जाती है [illegible] धारा [illegible] व्याप्त [illegible] पेश प्रत्यक्ष [illegible] जाता है विस्तृत [illegible] शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली [illegible] दीवानी [illegible] से [illegible] के बाद तत्काल [illegible]	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner